विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

भुखमरी तो मिटानी ही होगी

• प्रोफेसर ज्यां द्रेज •

हाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली तो मुख्यधारा की मीडिया में इसके वित्तीय प्रभावों को केंद्र में रखकर आलोचनाओं का एक सिलसिला चल निकला। जाहिर तौर पर, बिल से लागत खर्च के बारे में जो बातें निकलती हैं उनकी जतन के साथ जांच परख और सार्वजनिक बहस होनी चाहिए लेकिन यह बात बड़ी उदास करने वाली है कि इन आलोचनाओं में लागत के बारे में तो बड़ी चिंता जताई जा रही है लेकिन लोगों की जिंदगी को संवारने के लिहाज से यह बिल जो कर सकता है उसको लेकर दिलचस्पी ना के बराबर है।

आलोचनाओं की इस बाढ़ का अंदेशा पहले से था। एक तरह से देखें तो साल 2004 का घटनाक्रम ही इस मामले में अपने को दोहरा रहा है। उस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल संसद में पेश हुआ और आलोचकों ने दावा किया कि इस पर सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। फिर भी, हाल की आलोचकीय आतिशबाजी के पीछे काम करने वाली लालबुझक्कड़ी प्रतिभा की प्रशंसा करनी होगी। कैबिनेट के नोट में बिल के लिहाज से 27,000 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमान किया गया है और इस अनुमान में ऐसी हवा भरी गई कि कई भ्रमपूर्ण टिप्पणियों में यह कई लाख करोड़ रुपयों में तब्दील हो गया। कुछ रिपोर्टों में बिल के अंतिम रूपांकन को स्टॉक मार्केट के तथाकथित क्रैश से जोड़कर देखा गया। इन रिपोर्टों में से एक ने अफसोस के स्वर में समाचार का शीर्षक लगाया ''हूं विल फीड द सेंसेक्स?'' और एक समाचार के शीर्षक ''क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैपस्'' में तो यह तक कहा गया कि ना सिर्फ भारत बल्कि चीन, ब्राजील और रूस तक में भुगतान– असंतुलन पैदा हो सकती है, इससे बचने के लिए सरकारों को अपनी उधारी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे अन्य दिलचस्प समाचार सुर्खियों में शामिल है ''रेकलेस फूड सिक्यूरिटी लारज्स कुड बस्ट द बैंक'' यानी खाद्य सुरक्षा के नाम रुपयों की बेतहाशा बरसात से बैंकों का भट्ठा बैठ जाएगा और ''विल द फूड बिल बी द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक द इंडियन इकोंनॉमी'' यानी क्या खाद्य सुरक्षा बिल भारतीय अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा?

खतरे की घंटी बजाते इन समाचारों से हर उस आदमी को हैरत होगी जिसने खाद्य सुरक्षा बिल को पढ़ा है। मिसाल के लिए यह जताने की कोशिश की जा रही है कि 27,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ बस तुरंत अगले ही वित्तीय वर्ष में पड़ने वाला है। यह बात गलत है। बड़े आशावाद के साथ यह मान लें कि बिल संसद के बजट सत्र में पास हो जाता है और साल 2012 की मध्यावधि तक अमल में आता है तो भी साल 2012–13 में अतिरिक्त सब्सिडी की रकम 27,000 करोड़ रुपए से नीचे ही रहेगी। बिल की लागू होने के वास्तविक समयावधि के कारण भी ऐसा होगा और इसलिए भी कि बिल एक झटके में सारे देश में लागू हो जाए, इसकी संभावना कम है। दरअसल, बिल की अधिसूचना जारी करना कालबद्ध मामला नहीं है। इसे कई चरणों में जारी किया जा सकता है। अधिनियम लागू हो जाता है तब भी सामान्य श्रेणी (प्राथमिक श्रेणी के परिवारों के विपरीत) के परिवारों के भोजन के अधिकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधारों से जोड़ा जाना है और इसे उसी तारीख से लागू माना जाएगा जो तारीख केंद्र सरकार तय करेगी। इसके अतिरिक्त मौजूदा खाद्य भंडार इतना विपुल है कि बिल से पैदा होने वाली अनाज की अतिरिक्त जरूरत को थोड़ी सी रकम खर्च करके कुछ समय तक पूरा किया जा सकता है।

दांव पर फिलहाल किसी किस्म का वित्तीय झटका नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय क्षमता लगी है कि वह एक खास समयांतराल के भीतर आर्थिक रुझानों की रोशनी में इस बिल के साथ मेल बैठा पाती है या नहीं। इन रुझानों में शामिल है तेज आर्थिक वृद्धि, सरकारी राजस्व में तीव्रतर बढ़ोतरी, खाद्यान्न के उपार्जन में टिकाऊ बढ़ोतरी और हाल फिलहाल में कई

जारी

इस अंक में...

- भुखमरी तो मिटानी ही होगी
- अल्पसंख्यकों की रहनुमाई का दावा महज छलावा
- सामाजिक संगठन के खिलाफ सत्तारूढ़ सरकार के नेताओं की साजिश
- जनमंच के दौरान दर्ज हुई सैकड़ों शिकायतें
- वन भूमि पर काबिज लोगों को नहीं मिल रहा है लाभ
- उम्मीद की किरण बना मजदूर किसान शक्ति संगठन
- दलित महिला सरपंचों ने बताई अपनी पीड़ा
- चिकित्सा पेशे से शर्मसार मत कीजिए
- कई निशक्तों को मदद की दरकार
- झौंपड़ियों और पेड़ के नीचे चल रहे प्राथमिक स्कूल

राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े सुधार। रुझान कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा की पहलकदमी के लिए माहौल अनुकूल है। संयोग से अगर अधिनियम अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पूर्णव्यापी तौर पर अमल में आ जाता है और इसमें अतिरिक्त खाद्य भंडार का इस्तेमाल नहीं किया जाता यानी अतिरिक्त सब्सिडी की रकम साल 2012–13 में सचमुच 27,000 करोड़ रुपए रहती है तब भी इस लागत की भरपाई के लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं, वित्त मंत्रालय के राजस्व संबंधी एक ब्यौरे (रेवेन्यू फॉरगॉन स्टेटमेंट) के अनुसार हीरा और सोना के कस्टम शुल्क पर दी जाने वाली छूट को ही खत्म कर दिया जाए तो अकेले इससे तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी और याद रहे शुल्कों में दी जाने वाली छूट के कारण साल 2010–11 में सरकार को जिस 511,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई, हीरा और सोना के कस्टम शुल्क में दी जाने वाली छूट उसका एक हिस्सा मात्र है। व्यापक धरातल पर सोचें तो देश का टैक्स जीडीपी अनुपात बढ़ाने की भारी गुंजाइश है। यह बात विशेषज्ञों की कई रिपोर्टों में कही गई हैं, फिर धनिकों को दी जाने वाली सब्सिडी में कमी करने का रास्ता अलग से है। इस बात का जिक्र करना लाजिमी है कि 27,000 करोड़ की अनुमानित राशि का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। बिल में बाल पोषण और मातृत्व से जुड़े खाद्य सुरक्षा के अधिकारों के भी प्रावधान हैं। बहरहाल, इनमें से अधिकतर प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों (मातृत्व से जुड़े भोजन अधिकार मुख्य अपवाद हैं) के मद्देनजर अपरिहार्य हैं। समय बीतने के साथ जैसे जैसे नई पहलकदमियां ठोस रूप लेंगी, लागत बढ़ सकती है लेकिन धन का इस्तेमाल अगर अच्छाई के लिए हुआ है तो यह कोई बुरी बात नहीं।

यही तर्क बिल में वर्णित खाद्यान्न उपार्जन के बारे में भी लागू होते हैं। जिसने भी कहा है (या तथाकथित रूप से कहा गया है) कि बिल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ''खाद्यान्न की उपज और खाद्यान्न के सरकारी उपार्जन को बढ़ाने के लिए 350,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी वह इस तथ्य को तकरीबन भूल जाता है कि खाद्यान्न उपार्जन पहले ही लगभग 6 करोड़ टन का है। इतनी मात्रा बिल को एकबारगी पूरे देश में लागू करने के लिए काफी है। संयोगात् खाद्यान्न उपार्जन गुजरे बीस सालों से लगातार लगभग 5 फीसदी की दर से बढ़ रहा है और ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि यह बढ़वार अचानक से रुक जाएगी और जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, देश के पास मौजूद विशाल खाद्य भंडार खुद में एक बड़ी राहत की बात है।

आखिर में एक महत्वपूर्ण बात और कि बिल में बहुत सी कमियां और जिम्मेदारी से बच निकलने के रास्ते हैं। समयावधि तय करने की ही नहीं अधिकतर अधिकारों में संशोधन करने और राज्यों के साथ लागत खर्च में हिस्सेदारी की बात तय करने की ताकत भी केंद्र सरकार ने अपने पास रखी है। कई प्रावधान ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार अपनी मर्जी से भोजन से जुड़े अधिकारों को नकदी के हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) के रूप में बदल सकती है। बच निकलने के इतने सारे रास्तों के रहते खतरे की घंटी बजाती मौजूदा खबरदारियां समझ से परे हैं। खतरे की घंटी बजाती इन खबरदारियों की जगह बिल में कही गई बातों पर जानकारी भरी बहस होनी चाहिए। दरअसल, बिल की गंभीर कमियां हैं, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ज्यादा ताकत रखी है। बच्चों के लिए बड़े सीमित प्रावधान किए गए हैं और फिर बड़े समस्यापूर्ण ढंग से आबादी को तीन हिस्सों (प्राथमिक, सामान्य और अपवर्जी) में बांटा गया है। जरूरत बिल को लचीला और सरल बनाने की है। लागत खर्च पर ज्यादा और लोगों के जीवन को संवारने के लिहाज से होने वाले फायदों पर कम ऊपर मैंने इसी फांस की चर्चा की थी और जान पड़ता है मैं भी उसी में फंस गया। मैं अपनी बात बस एक वाक्य में कहूंगा कि भुखमरी तो मिटानी ही होगी। बिल में क्या लिखा गया है और बिल को अमल में कैसे लाया जाए इससे जुड़े सवालों पर बहस बाकी है लेकिन लागत खर्च की आड़ में इन सवालों को दबा रखने का मतलब होगा कि हमारी प्राथमिकता ही गड़बड़ है। *(लेखक अर्थशास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं) (साभारः प्रतिरोध डॉट कॉम)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

अल्पसंख्यकों की रहनुमाई का दावा महज छलावा

• बाबूलाल नागा •

राजस्थान सरकार अपने शासन के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अल्पसंख्यकों के विकास के लिए किए गए कार्यों का ढिंढोरा पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान सरकार का दावा है कि अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं योजनाओं को आमजन केंद्रित करते हुए विगत 3 वर्षों में अभिनव फैसले लिए हैं जबकि सूरत ए हाल कुछ ओर ही है। अल्पसंख्यकों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शरीक करने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं।

अल्पसंख्यकों की स्थिति के अध्ययन हेतु गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वर्ष 2006 में जारी हुई। इसी के बाद केंद्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय का गठन हुआ जिसके तहत अल्पसंख्यक मामलात विभाग बनाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित हुआ। राजस्थान में भी वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन हुआ। इस मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पास ही रखा। नवंबर 2011 में अमीन खान राज्यमंत्री को इस विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। इस विभाग की जिम्मेदारी थी कि नए 15 सूत्री कार्यक्रम का क्रियांवयन करे व इस कार्यक्रम की क्रियांविति के लिए जिला व राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित करे। सरकार ने विभाग तो बना दिया लेकिन कार्यक्रम के क्रियांवयन के कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। न ही नियमानुसार समितियां गठित की गईं और इनकी नियमित बैठकें आयोजित की गईं। सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में ली गई सूचना से पता लगा है कि इन समितियों का नियमानुसार गठन नहीं हुआ है। इनमें सांसद व विधायकों को नामांकित तो किया है लेकिन उन्होंने समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष तो अब जाकर नियुक्ति किया है लेकिन सदस्यों की नियुक्ति अभी होना बाकी है।

राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों को कई योजनाओं का लाभ दिए जाने का दावा भी किया जा रहा है लेकिन हकीकत एकदम अलग है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 3026 मदरसें पंजीकृत हैं। इनमें 3500 शिक्षा सहयोगियों तथा 500 कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी नियुक्त है। सरकार का दावा है कि आधुनिक शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के 241 मदरसों के लिए 10.11 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया और 251 मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नयन करवाया। मदरसों को लेकर किए जा रहे इन ढेर सारे दावे की हकीकत कुछ ओर ही बयां करती है। मदरसों के पंजीकृत होने के बाद भी उनकी व्यवस्था को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। हालात तो यह है कि इन मदरसों में परीक्षाएं तक नहीं ली जाती हैं। हाल ही में प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं हुईं लेकिन इन पंजीकृत मदरसों में परीक्षा नहीं हो पाई। यह सिलसिला करीब आठ साल से चल रहा है। आठ साल से न तो मदरसा बोर्ड मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षाएं करवा रहा है और न ही शिक्षा विभाग। मदरसों में आधुनिकीकरण योजना में कंप्यूटर शिक्षा नहीं हो पा रही है। कंप्यूटर शिक्षकों के अभाव में बंद पड़े हैं। पंजीकृत मदरसों में 1200 कंप्यूटर वितरित किए गए हैं। पंजीकृत मदरसों में अभी तक उर्दू शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए कुछ मदरसों में शिक्षक ही मौजूद नहीं है। उर्दू शिक्षा सहयोगियों की भर्ती पर गौर करें तो जोधपुर में 146 पदों के लिए एक उर्दू शिक्षा सहयोगी की भर्ती हुई है। जयपुर में 305 पदों पर 200, जैसलमेर में 108 पदों पर 34, नागौर में 405 पदों पर 197, रतनगढ़ में 33 में से 5 व बाड़मेर में 188 पदों 10 की ही भर्ती हुई है। इसी तरह मेवात विकास बोर्ड द्वारा अलवर व भरतपुर जिलों में 14 स्कूल भवन काफी समय से तैयार है लेकिन सरकारी घोषणा के बाद भी स्कूल शुरू नहीं हुए है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग को दो और स्कूल शुरू करने थे वे भी अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप मदरसों में कार्यरत पैराटीचरर्स और शिक्षा सहयोगियों का मानदेय बढ़ाया गया। मदरसा शिक्षा सहयोगियों का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 3500 रुपए एवं सभी शिक्षा सहयोगियों को 1 जुलाई से हर वर्ष मानदेय में 400 रुपए की वृद्धि की गई। इनके मानदेय में वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ भी इन्हें जुलाई माह से ही दिए जाने के आदेश अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश 26 अगस्त 2011 को ही जारी कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी अभी तक शिक्षा सहयोगियों को सालाना वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सका है। इस कारण एक हजार से अधिक मदरसा शिक्षा सहयोगी इस लाभ से वंचित है।

जारी

राज्य सरकार ने राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन (आरकेसीएल) के माध्यम से सभी वर्ग की महिलाओं के लिए निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना शुरू की। निशुल्क प्रशिक्षण हेतु 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जयपुर शहर की मुस्लिम बस्तियों में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं ने भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए 7 माह पहले आवेदन किया था लेकिन अभी तक भी ये महिलाएं कंप्यूटर प्रशिक्षण की आस लगाए बैठी हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए इन महिलाओं की ओर से अब तक विभिन्न विभागों में 12 पत्रों का आदान प्रदान हो चुका है। कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाए हैं और सैकड़ों बार फोन पर संपर्क किया जा चुका है लेकिन अभी तक किसी भी विभाग की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। सरकार ने सभी संभागों में क्रमबद्ध तरीके से अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खोलने का निर्णय लिया। जयपुर, कोटा व अजमेर में इसकी शुरुआत भी की गई है। जयपुर में मानसरोवर शिप्रापथ पर बालिका छात्रावास बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई है। ये स्थान जेडीए द्वारा चिंहित अमानीशाह नाले के पेटे तहत आता है। उच्च न्यायालय ने नाले के आस पास 150 फीट जमीन छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस जमीन की पैमाइश का काम आगामी तीन माह में पूरा करने की जेडीए की योजना है। ऐसे में बिना नाले के पेटे की सीमा तय किए छात्रावास भवन का काम शुरू कर देना न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना होगी।

बहरहाल, अल्पसंख्यकों के विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा यह नजर आती है कि सरकारी स्तर पर उनके सशक्तीकरण की कोई ईमानदार कोशिश नहीं की जाती है। सरकारी स्तर पर बेहतर क्रियांविति के अभाव के चलते अल्पसंख्यकों के कल्याण के सार्थक पहल के सरकारी दावे महज खोखले साबित हो रहे हैं। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

सामाजिक संगठन के खिलाफ सत्तारूढ़ सरकार के नेताओं की साजिश

• लखन सालवी •

राज्य में कुछ सामाजिक संगठन वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वंचित व शोषित वर्ग के लोगों के लिए जो कार्य सरकार व राजनेताओं को करने चाहिए वे सामाजिक संगठन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के लोगों को इन सामाजिक संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों से आपत्ति होने लगी है। तभी तो संगठनों के खिलाफ साजिश कर उन्हें बदनाम करने व संस्था संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रच कर फंसाने के प्रयास कर रहे हैं। जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों को हर स्तर पर उठाने वाले सामाजिक संगठनों को नस्तेनाबूत करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी व विपक्ष पार्टी के नेता हाथधोकर पीछे पड़े हैं। ऐसा ही एक मामला आजकल बारां जिले में सुर्खियों में है। बारां जिले के किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र (सहरिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र) में संचालित एक गैर सरकारी संगठन ''दूसरा दशक परियोजना'' के खिलाफ यूथ कांग्रेस के लोकसभा सभा महासचिव जसविंदर सिंह साबी द्वारा साजिश रचकर प्रताड़ित किया जा रहा है जबकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी इस क्षेत्र के गरीबों के प्रति संवेदनशील होने की बात करते हैं तथा वे इस क्षेत्र को दौरा भी कर चुके हैं।

20 दिसंबर को गणेशपुरा गांव की दो लड़कियों द्वारा भंवरगढ़ थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि भंवरगढ़ के तेजाजी के डांडे स्थित दूसरा दशक परियोजना नाम की संस्था में आयोजित आवासीय कैम्प में पढ़ाने वाली संस्था के निदेशक, समंवयक व अध्यापिकाओं द्वारा उन्हें नंगा कर उनकी फोटो खिंची जाती है। उन्हें गंदे गंदे चित्र दिखाए जाते हैं व अश्लील हरकतें की जाती हैं। 20 दिसंबर को ही संस्था के निदेशक मोती लाल सहित 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भंवरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर क्रमांक 177/11 में आईपीसी की धारा 354, 294 व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (11) के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एससी/एसटी सैल (बारां) के पुलिस उपाधीक्षक कल्याणमल बंजारा द्वारा आरंभ की गई। 20 दिसंबर को ही एडीएम रामप्रसाद मीणा, तहसीलदार बशीर मोहम्मद, नायब तहसीलदार, एससी/एसटी सैल के उपअधीक्षक कल्याणमल बंजारा व भंवरगढ़ थाने के एएसआई साहेब सिंह ने गणेशपुरा जाकर आरोप लगा रही लड़कियों व उनके परिजनों के बयान लिए। बहरहाल, जांच कार्यवाही जारी है। कल्याणमल बंजारा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मामले से जुड़े प्रत्येक पहलू का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। 20 दिसंबर को भंवरगढ़ में संस्था के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गणेशपुरा की लड़कियों के साथ खांखरा ग्राम पंचायत के फूल चंद सहरिया, जानकी लाल सहरिया व क्षेत्र की विधायक (कांग्रेस) निर्मला सहरिया भी गई थी। विधायक व सरपंच ने संस्था को बंद कर आरोपी कार्यकर्ताओं को गिरतार करने की मांग की। उन्होंने निष्पक्ष जांच करने की मांग की बजाए संस्था को बंद करने व आरोपियों को गिरतार करने की मांग की। यह बड़ा ही संदेहास्पद था क्योंकि क्षेत्र में पूर्व में हुए अत्याचार व उत्पीड़न के मामलों में इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। संस्था से जुड़ी सहरिया समुदाय की जागरूक महिला ग्यारसी बाई सहरिया कहती है कि सहरिया महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, आरोपी जेल गए, महिलाओं के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन क्षेत्र की विधायक व आजकल सहरिया समुदाय के प्रति संवेदनशील बन रहे फूल चंद सहरिया व जानकीलाल सहरिया ने कभी आवाज नहीं उठाई।

इससे पहले 19 दिसंबर को एक टीवी चैनल पर इस आशय के समाचार प्रसारित किए गए थे। समाचार 19 दिसंबर को सायं प्रसारित हुए थे। समाचार प्रसारित होने के तुरंत बाद संस्था के भवन से महज एक उडेढ़ किलोमीटर दूर स्थित थाने के एएसआई साहेब सिंह संस्था में पहुंचे और वहां पढ़ रही छात्राओं से मामले के संबंध में जानकारी ली। छात्राओं ने अश्लीलता की जाने से इंकार कर दिया। दूसरी तरफ संस्था के कार्यकर्ताओं ने बताया कि टीवी पर प्रकाशित हुए समाचार के दिखाए गए चित्र वे थे जो जसविंदर सिंह साबी ने 17 दिसंबर को संस्था में आकर लिए थे। दूसरा दशक परियोजना से जुड़े कार्यकर्ता विश्वजीत सरकार, विजय राय व आयनामति सरकार ने बताया कि जसविन्दर सिंह साबी संस्था में आया था। जसविंदर सिंह साबी ने संस्था के कार्यों की जानकारी ली और कहा कि मैं संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों से प्रभावित हूं और संस्था के साथ जुड़कर काम करना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जसविंदर सिंह अपने साथ कैमरा भी लाया था। उसने लाइब्रेरी, कंप्यूटर रुम व संस्था से बाहर जाकर संस्था भवन की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी की। संस्था के निदेशक मोतीलाल ने बताया कि उक्त प्रकार के घटना क्रम के दौरान वे संस्था में नही थे।

जारी

ध्यान देने योग्य है कि लड़कियों द्वारा संस्था के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 20 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट दी गई थी, उससे पहले गांवों में संस्था के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। जसविंदर सिंह साबी ने 17 दिसंबर को कालीमाटी गांव में जाकर संस्था के खिलाफ दुष्प्रचार किया कि भंवरगढ़ स्थित संस्था में गांव की जो लड़किया पढ़ रही हैं उनके गंदे गंदे फोटो खिंचे जाते हैं। उनको गंदे गंदे फोटो बताए जाते हैं। उनको नंगा कर नचवाया जाता है। उनके नग्न फोटों खिंचे जाते हैं तथा वो फोटो संस्था द्वारा बाहर (विदेशों) भेज कर पैसे कमाए जाते हैं। महिलाओं को विश्वास दिलवाने के लिए उसने यह भी कहा कि संस्था के कार्यकर्ताओं ने गंदा काम करके (नग्न फोटो विदेशों में भेजकर पैसा कमाने का) ही तो 5 करोड़ की बिल्डिग बनाई है। उसने महिलाओं को प्रलोभन देते हुए कहा कि गांव की जो लड़कियां संस्था में पढ़ रही हैं, उनको संस्था से ले आओगी तथा जैसा मैं कहूं वैसा कहवा दोंगे तो प्रत्येक लड़की को सरकार से डेढ़ डेढ़ लाख रुपए दिलवा दूंगा। वह एक महिला को मोबाइल नंबर भी देकर गया कि अगर लड़कियों को ले आओ तो मुझे फोन कर देना। गांव के वीरू सहरिया ने बताया कि साबी बलराम सहरिया के मोबाइल नंबर भी ले गया था तथा उसने दूसरे दिन (18 दिसंबर) को बलराम को फोन भी किया था और पूछा था कि लड़कियों को संस्था से ले आए कि नहीं ? बलराम सहरिया ने उससे कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, वे लड़कियों को लेकर आएगी तो बता दूंगा। माधोपुरा के बिरमा सहरिया (48 वर्ष), पंसूरी बाई सहरिया (45 वर्ष), अयोध्या बाई सहरिया (32 वर्ष), मेवा बाई (28 वर्ष) व स्कूल छात्रा वीरू सहरिया, अशोक सहरिया, बलराम सहरिया ने बताया कि जसविंदर सिंह साबी के गांव में आने व संस्था में लड़कियों के साथ गलत काम होने, उनकी नग्न फोटो खिंचकर विदेशों में भेजने की बात कही व प्रलोभन देने की बात भी वह स्वीकारते है। कालीमाटी के प्रधानाध्यापक व विधार्थी मित्र ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जसविंदर साबी 17 दिसंबर को कालीमाटी की सहरिया बस्ती में आया था तथा महिलाओं से बात की थी।

गणेशपुरा गांव की लड़कियों द्वारा संस्था के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोप किसी के गले नहीं उतरे रहे हैं। वहीं कैम्प में वर्तमान में अध्ययनरत 46 छात्राओं का कहना है कि संस्था में कार्यकर्ताओं द्वारा अश्लीलता नहीं की जाती है। संस्था में घर से भी अच्छा माहौल है। नाम जगजाहिर न करने की शर्त पर एक व्यक्ति ने बताया कि जसविंदर सिंह साबी ने संस्था के खिलाफ साजिश रची है। उसने संस्था के विरुद्ध रची साजिश को अंजाम देने के लिए चंदा भी इकट्ठा किया था। दो अन्य किसानों ने भी बताया कि इस पूरे प्रकरण में जसविंदर सिंह साबी व प्रवीण सिंह उर्फ बिट्ठा का हाथ है। एक किसान ने बताया कि जसविंदर सिंह साबी ने उसे चंदा देने के लिए 5 बार फोन किया। उन्होंने बताया कि फूलचंद सहरिया व जानकीलाल सहरिया भी इस जसविंदर साबी द्वारा रचाए गए षडयंत्र में शामिल है। जानकीलाल सहरिया व फूलचंद सहरिया द्वारा बार बार संस्था को बंद कर देने व संस्था के कार्यकर्ताओं को गिरतार करने की मांग करना यह जाहिर करता है कि वे किसी अन्य के इशारे पर काम कर रहे हैं। संस्था के निदेशक मोतीलाल ने बताया कि उनकी संस्था को बदनाम करने व संस्था के कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने यूथ कांग्रेस के महासचिव जसविंदर सिंह साबी पर संस्था के खिलाफ दुष्प्रचार कर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि संस्था में शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए आवासीय कैम्प आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्र की शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उन्हें कैम्प में शामिल किया जाता है। चार माह के इन आवासीय कैम्पों में बालिकाओं को अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। दूसरा दशक परियोजना (भंवरगढ़) द्वारा अब तक 8–9 कैम्प आयोजित करवाए गए है। प्रति वर्ष 2 आवासीय कैम्प आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से एक कैम्प के लिए सरकार से पैसा आता है। इसके अलावा संस्था ने कभी सरकार से कोई फंड नहीं लिया। अब तक सैकड़ों लड़कियां इनके आवासीय कैम्पों में शिक्षित हुई हैं।

उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिलवाने, दबंगों के कब्जे से सहरियाओं की जमीनें छुड़वाने, महानरेगा में 100 की बजाए 200 दिन का रोजगार मुहैया करवाने, महानरेगा में मजदूरी की दर बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार की खिलाफत करते हुए बंधुआ मजदूरी कर रहे लोगों को मुक्त कराने जैसे कई कार्य किए गए, जिससे एक वर्ग विशेष काफी नाराज है। संस्था के कार्यकर्ताओं को कई बार धमकियां भी दी गईं। उनके प्रयासों से चंद बंधुआ मजदूर तो मुक्त हुए लेकिन बंधुआ मजदूरी करवाने वाले वर्ग के लोग संस्था संगठनों के लोगों के विरोधी हो गए। चूंकि पिछले साल बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम 1976 के तहत कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे तथा उनके खिलाफ फैसले भी हुए। बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें बंधुआ विमुक्ति प्रमाण पत्र भी दिए गए। न्यायालय के फैसलों से तिलमिलाएं हुए लोग संस्था के खिलाफ हाथ धोकर पड़े हैं। किशनगंज तहसील के सूड़ा, गणेशपुरा, चैनपुरा के जमींदारों ने मिलकर हाल ही में संस्था के खिलाफ साजिश रची है। जसविंदर सिंह साबी के परिवार व रिश्तेदारों के यहां भी सहरिया समुदाय के लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी। संस्था के प्रयासों से उनके यहां काम कर रहे बंधुआ मजदूर न सिर्फ मुक्त हुए बल्कि बंधुआ मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए जिनकी कार्यवाही अभी भी चल रही है। कईयों के खिलाफ फैसले आए है। सहरिया समुदाय के कई लोगों ने सरदारों के यहां काम करना बंद कर दिया है। पूर्व में सहरिया परिवार के सभी सदस्य सरदारों के खेतों, बाड़ों व घरों में मामूली मेहनताने में (भोजन की एवज मात्र में) काम करते थे। अब अगर काम करते भी है तो पूरी मजदूरी लेकर। सरदार उन्हें दबाकर मुत में काम करवाना चाहते हैं। वो अब सहरियाओं पर किसी प्रकार का अत्याचार भी नहीं कर सकते है, चूंकि पहले किए गए

जारी

अत्याचारों का परिणाम वह भुगत चुके हैं। वो वापस पहले जैसी स्थितियां बनाना चाहते है लेकिन संस्था को सबसे बड़ा रोड़ा समझते है। इन्हीं कारणों के चलते संस्था के खिलाफ दुष्प्रचार कर व लोगों को बहकाकर संस्था के कार्यकर्ताओं को फसाया जा रहा है। इस मामले में विपक्ष भी संस्था को बंद करने व आरोपियों को गिरतार करने की मांग कर रहा है। स्थानीय भाजपा नेता संस्था का विरोध कर रहे हैं वहीं क्षेत्र के सांसद दुष्यंत सिंह ने भी जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक को मामले की निष्पक्ष करने की बजाए संस्था को बंद करने व संस्था के कार्यकर्ताओं को गिरतार करने को कहा है। बारां जिले से सटे मध्यप्रदेश के जनसंगठनों ने मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर संस्था के खिफाफ दुष्प्रचार कर प्रताड़ित कर रहे लोगों की शिकायत की है। वहीं इस मामले को लेकर राजस्थान के जन संगठन भी सक्रिय हो गए हैं।

बहरहाल, जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों को हर स्तर पर उठाने वाली गैर सरकारी संस्था को नस्तेनाबूत करने के लिए सतारूढ़ पार्टी व विपक्ष पार्टी के नेता हाथ धोकर पड़े हैं। संस्था के निदेशक मोतीलाल कहते हैं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई मुझे कोई आपति नहीं है, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा लेकिन दुःख है तो इस बात का की संस्था की 4 अध्यापिकाओं पर भी झूठा मामला दर्ज किया गया। वे कहते है – ''सरफरोशी की तम्मना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू–ए–कातिल में है।'' **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

जनमंच के दौरान दर्ज हुईं सैकड़ों शिकायतें

• विविधा फीचर्स •

सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआई) और दिल्ली के कुछ अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से 15–17 दिसंबर 2011 तक तीन दिवसीय जन शिकायत निवारण मंचों का आयोजन किया गया। इन शिकायत निवारण मंचों के माध्यम से न केवल स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाईं बल्कि शिकायत निवारण कानून के लिए जरूरी प्रावधानों और इस कानून की आवश्यकता पर भी चर्चा की। जनमंच का आयोजन दिल्ली के चार जिलों में किया गया। इनमें मध्य दिल्ली के लिए तकिया कालेखां झुग्गी बस्ती में भारतीय महिला फेडरेशन (एनएफआईडब्ल्यू) ने जनमंच लगाया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जोश संस्था द्वारा जनमंच लगाया गया। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में सतर्क नागरिक संगठन की ओर से जनमंच आयोजित हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी क्षेत्र में पारदर्शिता संस्था की ओर से जनमंच लगाकर लोगों की शिकायतें दर्ज की गईं।

इन मंचों के माध्यम से एनएफआईडब्ल्यू के कैंप में लगभग 300 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से अधिकतर राशन वितरण प्रणाली से संबंधित थीं। एमसीडी और शिक्षा विभाग से दो अधिकारी भी इस जनमंच के दौरान तकिया काले खां की बस्ती में पहुंचे। इन अधिकारियों ने अपने विभागों से संबंधित शिकायतों की अर्जी दर्ज कीं। शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा दो अनाथ बच्चों को तत्काल राहत भी मिली। उन्होंने इन बच्चों के दाखिले के लिए स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देश जारी किए हैं। विकलांग सहायता से संबंधित शिकायतें भी आईं। बस्ती में सफाई के लिए भी बहुत शिकायतें आईं। मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर चुके कई लोग जनमंच में आए। उन्होंने बताया कि 2–3 साल से आवेदन कर रखा है पर अभी तक मतदाता पहचान पत्र नहीं मिले हैं। ऐसी लगभग 20 शिकायतें हैं। झुग्गी में जले राशनकार्डों का डुप्लीकेट नहीं दे रहे हैं और जिनको मिले भी हैं, उन्हें अभी तक राशन नहीं मिल रहा है। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में काम कर रहे सतर्क नागरिक संगठन के जनमंच में 350 शिकायतें दर्ज हुईं। यहां शिकायत निवारण कानून पर चर्चा के साथ जनमंच की शुरुआत हुई। लोगों ने शिकायत निवारण के मुद्दे पर अपनी बात रखी और एनसीपीआरआई के शिकायत निवारण कानून के बारे में विचारों से अवगत हुए। अधिकतर शिकायतें दिल्ली जल बोर्ड, राशन विभाग, एमसीडी, शिक्षा, मतदाता पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थीं। त्रिलोकपुरी में जनमंच के दौरान काफी भीड़ उमड़ी। स्थानीय प्रशासन के कामकाज के तरीके से त्रस्त लोगों ने अपनी आवाज इस जनमंच के जरिए उठाई। जोश संस्था के नेतृत्व में आयोजित इस जनमंच के दौरान 890 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से ज्यादातर राशन विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। शिक्षा को लेकर शिकायतों में विद्यालयों की स्थिति और गुणवत्ता को लेकर शिकायतें दर्ज हुईं। दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी और समाज कल्याण विभाग की दुर्दशा पर कुछ प्रदर्शनियां भी जनमंच के दौरान लगाई गईं। उत्तरपूर्वी दिल्ली में पारदर्शिता संस्था के जनमंच में कुल 80 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से अधिकतर राशन विभाग से संबंधित थी। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग और मतदाता पहचान पत्र, कई तरह के प्रमाण पत्रों से संबंधित शिकायतें भी लोगों ने दर्ज कराईं।

जनमंच के इन आयोजनों से कुछ बातें एकदम साफ जाहिर होती हैं। पहली तो यह कि देश में एक प्रभावी एवं व्यवहारिक जन शिकायत निवारण कानून की सख्त आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि इन शिकायतों को दर्ज करने और इनके निस्तारण के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण और जन सहायता केंद्रों का गठन बहुत ही जरूरी है। दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीन दिन के जनमंच के दौरान सैकड़ों शिकायतों का आना इस बात का सबूत है। इन शिकायतकर्ताओं में से अधिकतर न तो अपनी शिकायत लिख पाने में सक्षम थे और न ही उन्हें स्पष्ट पता था कि अपनी शिकायतों के लिए वे किन अधिकारियों या विभागों में जाएं। विभागों में शिकायत निवारण की कोई कारगर व्यवस्था न होने के कारण इन लोगों को बरसों निराश होना पड़ा है। जनमंच के दौरान इकट्ठा हुई शिकायतों को संबंधित विभागों में भेजा गया हैं ताकि उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा सके। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

वन भूमि पर काबिज लोगों को नहीं मिल रहा है लाभ

• फिरोज खान •

बारां जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शाहबाद व किशनगंज क्षेत्र में निवास कर रहे व वर्षों से वनभूमि पर काबिज लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में वर्षों से काबिज लोग वन अधिकार के आवेदन करने के बाद भी वंचित है। सरकार की ओर से सहरिया बाहुल्य क्षेत्र में सहरिया आवास, नरेगा में दो सौ दिन का रोजगार, मां बाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, निशुल्क दवाइयां, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास आदि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है लेकिन वनभूमि पर काबिज लोगों को बिजली, सड़क, शिक्षा आदि का लाभ नहीं मिल रहा है।

शाहबाद ब्लॉक की राजपुर ग्राम पंचायत के गांव कृपालपुरा भील बस्ती में करीब 60 परिवार निवास करते हैं। इनकी मुख्य समस्या है बिजली, पानी व साधन। गत वर्ष इस बस्ती की तीन महिलाएं डिलीवरी के समय साधन के अभाव में काल का ग्रास बन चुकी है। बस्ती निवासी खैमा भील व मंग्गू भील ने बताया कि बहुत वर्षों पहले पूर्व सरपंच फूंदी सहरिया ने यहां बसाया था, तब से ही यहां निवास कर रहे हैं लेकिन सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। खैमा भील के परिवार में 30 सदस्य है और एक राशन कार्ड है। इस कारण इस परिवार को महीने में एक बार मात्र तीन लीटर केरोसीन मिलता है जो पूरे माह भी नहीं चलता है। इस बस्ती में आज तक बिजली नहीं आई। बस्ती में 22 परिवार बीपीएल में है और राजीव गांधी विद्युत परियोजना के अंतर्गत लगने वाली निशुल्क बिजली कनेक्शन भी इनको नहीं मिल रहे हैं। हल्का पटवारी का कहना है कि यह लोग आबादी क्षेत्र में निवास नहीं कर रहे हैं। वन भूमि पर काबिज होने के कारण इनको आबादी क्षेत्र का प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण यह लोग वंचित है।

इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन व मेहनत मजदूरी करना है लेकिन हालात यह है कि इनकी बस्ती में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा ना तो सरकारी हैंडपंप और ना ही ट्यूबवैल है। पास में आनासागर तालाब व कंडा खोह है। यह दोनों पेयजल स्त्रोत ही इनके प्यास बुझाने में काम आते हैं। इस तालाब में पानी नहीं रहता था, मगर इस वर्ष क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बारिश होने की वजह से तालाब भरा हुआ है। इसका पानी ही यह लोग काम में ले रहे हैं या फिर जब तालाब में पानी नहीं रहता है तो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुंडा खोह से पानी लाकर अपनी व जानवरों की प्यास बुझाते हैं। इनका कहना है कि इस कंडा खोह में शेर, रीछ आदि जानवर निवास करते हैं। क्योंकि इसकी गहराई होने के कारण जानवर इस घने जंगल में स्थित इस खोह में अपना डेरा जमाए रहते हैं। आस पास जब इस क्षेत्र में दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता तब भी इस जगह में पानी रहता है। डरते डरते मजबूरी में जाकर पानी लाना पड़ता है या फिर 400 रुपए के हिसाब से पानी का टेंकर मोल मंगवाते हैं। पानी की समस्या इतनी है कि बस्ती के लोग सुबह 4 बजे से इस कंडा खोह में प्रवेश करते हैं और सुबह 8–9 बजे तक ऊपर निकल कर आते हैं, क्योंकि इसकी गहराई 400–500 फीट के करीब है। इसमें जाने का रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। काफी मशकक्त के बाद यह लोग घने जंगल से पानी लेकर बस्ती पहुंचकर पानी से प्यास बुझाते हैं। बस्ती में बिजली नहीं होने के कारण उजाले के लिए मात्र चिमनी का सहारा है। वहीं संपर्क सड़क मार्ग से इस बस्ती की दूरी 3 किलोमीटर के आस पास मगर अभी तक भी इस मार्ग को सड़क से नहीं जोड़ा गया है। जिस कारण गत वर्ष साधन व रास्ते के अभाव में व बस्ती के आस पास घना जंगल का होना तथा जंगल के बीच में होकर संपर्क सड़क तक पहुंचने के चक्कर में डिलेवरी के समय धाबूबाई पत्नी सेना भील, बेजती पत्नी टीटू भील, सुमली पत्नी गट्टू भील की साधन के अभाव में मौत हो चुकी है। वहीं बरसात के मौसम में इस बस्ती के लोग का संपर्क कट जाता है। फिर तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए सुबह का इंतजार करना पड़ता है और तब जाकर उस मरीज को शाहबाद या मुडियर ले जाना पड़ता है। इसी तरह बीलखेड़ा डांग की ग्राम पंचायत के गांव चौराखाड़ी व हरिनगर की सहरिया बस्तियां बिजली, साधन के अभाव में जीने को मजबूर है। इनके सामने भी वनभूमि का रोड़ा अटका हुआ। इससे साबित होता है कि सरकार के वन अधिकार दावे खोखले नजर आते हैं।

इसी तरह केलवाड़ा क्षेत्र के बाल्दा ग्राम पंचायत के चंदन हेड़ा भील बस्ती में करीब 25 परिवार जीवन बसर कर रहे हैं। इनके आवास जीर्ण शीर्ण है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय मजदूरी है। काम नहीं मिलने पर यहां के अधिकांश लोग बारां, कोटा सहित अन्य स्थानों के लिए पलायन कर जाते हैं। ऐसे में इनके बच्चे शिक्षा के वंचित रह जाते हैं। चंदन हेड़ा भील बस्ती के लोगों का कहना है कि यहां न तो पानी की सुविधा है और न ही बिजली की। ऐसे में लोगों को एक किलोमीटर दूर से पीने

जारी

के पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बस्ती में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी वर्ष 2010 से बंद है। इस विद्यालय को इसलिए बंद कर दिया है कि उक्त विद्यालय की चंदनहेड़ा विद्यालय से एक किलोमीटर से कम दूरी थी। ऐसे में यहां के विद्यालय को चंदनहेड़ा के विद्यालय में समायोजित कर दिया। गांव के अधिकांश बच्चे तो चंदनहेड़ा व हतवारी के विद्यालयों में चले जाते हैं और छोटे बच्चे घरों पर ही रहते हैं। शाहबाद क्षेत्र में भील जाति शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है। जिस तरह से सहरियाओं के विकास के लिए योजनाएं संचालित हैं, उसी तरह भील समाज के लिए भी राज्य सरकार की योजनाएं चलनी चाहिए।

इस संबंध में राम प्रसाद मीणा एडीएम सहरिया विकास परियोजना शाहबाद का कहना है कि अगर केंद्र सरकार की मांडा योजना शाहबाद क्षेत्र में लागू हो जाए तो आर्थिक रूप से पीड़ित भील समाज को क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकता है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

उम्मीद की किरण बना मजदूर किसान शक्ति संगठन

• भारत डोगरा •

हाल के वर्षों में सामाजिक कार्य में मजदूर किसान शक्ति संगठन का नाम बहुत चर्चित रहा है। इस संगठन की औपचारिक स्थापना मई 1990 को हुई थी। हालांकि कार्य की शुरुआत तो वर्ष 1987 में कर दी गई थी। लगभग 25 वर्ष पहले की बात है। मध्य राजस्थान की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव की बात है। उस समय यह गांव उदयपुर जिले में स्थित था, नया जिला बनने पर यह राजसमंद जिले में आ गया। इस गांव में एक खाली पड़ी झोंपड़ी में अचानक एक नया परिवार आ कर बस गया। गांववासियों को बड़ी हैरानी हुई। उनकी हैरानी के कई कारण थे। वैसे तो इन बिन बुलाए मेहमानों में से एक शंकर सिंह को वे थोड़ा बहुत पहचानते थे। यह खाली झोंपड़ी शंकर सिंह की बहन की ही थी जो अपने पति व परिवार के साथ एक अन्य गांव में बस गई थी। अब शंकर सिंह अपनी पत्नी आंशी व तीन बच्चों के साथ इस झोंपड़ी में रहने लगे तो गांववासियों को इस बात की कोई हैरानी नहीं थी। हैरानी थी तो इस बात की थी कि अरुणा राय व निखिल डे नाम के दो अन्य व्यक्ति भी इस परिवार का सदस्य बन कर ही रहने लगे थे।

अरुणा राय के बारे में गांववासियों को पता चला था कि वह तो पहले बड़ी अफसर आईएएस थीं। फिर अफसरी छोड़ कर कई अन्य बड़े बड़े कार्य करती रहीं। अब वह हमारे गांव की एक झोंपड़ी में क्यों बस गई हैं, यह गांववासियों की हैरानी का विषय था। इसी तरह निखिल डे के बारे में उन्हें पता चला कि वायुसेना के राजस्थान में उच्चतम अधिकारी का यह पुत्र अमेरिका में अपनी पढ़ाई छोड़कर झोंपड़ी में रहने लगा है तो भी गांववासियों को काफी हैरानी हुई। उन्हें यह देखकर भी हैरानी हुई कि कुएं से पानी भरकर लाने व खाना पकाने जैसे जो कार्य प्रायः महिलाओं के माने जाते हैं उन्हें करने में इस परिवार के पुरुष शंकर व निखिल अधिक सक्रिय रहते थे। खाना पीना भी बहुत सरल रखा हुआ था। एक बार जब सब्जियों की कीमत बढ़ गई तो इस परिवार में कई दिनों तक लौकी के अतिरिक्त कोई सब्जी ही नहीं खरीदी गई क्योंकि सबसे सस्ती सब्जी वही उपलब्ध हो रही थी।

खैर, धीरे धीरे गांववासियों का अपने इन नए साथियों से परिचय बढ़ा तो उनकी शंकाएं दूर होने लगीं, दोस्ती बढ़ने लगी। उन्हें समझ आया कि यह साथी साधारण गांववासियों के जीवन के अनुरूप सादगी का जीवन अपनाना चाहते हैं, पर साथ ही अनुचित व अन्यायपूर्ण परंपराओं को तोड़ना भी चाहते हैं। इसी कारण इस नए परिवार के पुरुष बढ़ चढ़कर वह काम करते हैं जो आम–तौर पर केवल महिलाओं के जिम्मे होते हैं। इस वजह से ही यहां दलित साथियों के साथ पूरी समानता के स्तर पर मेलजोल बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है क्योंकि छुआछूत व भेदभाव जैसी कुरीतियों को तोड़ना बहुत जरूरी है। नए साथियों की इन बातों को समझ कर गांववासियों ने उनके स्तर पर उन्हें स्वीकार करना आरंभ किया। समय समय पर कुछ तनाव आते रहे, पर साथ ही कई स्तरों पर सहयोग भी बढ़ता गया। जब गांववासियों ने देखा कि उनकी समस्याओं के समाधान में, इससे जुड़े संघर्ष में भी इन नए साथियों की गहरी निष्ठा है तो तनाव कम होते गए व सहयोग बढ़ता गया। पर उस आरंभिक दौर में गांववासियों को तो क्या इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता था कि इस छोटे से शुरुआती प्रयासों से आगे चलकर सूचना के अधिकार व सोशल ऑडिट जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होंगी, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनेंगी, जिससे कई अन्य देशों के लोग भी सीखेंगे। उस समय यह भी नहीं पता था कि रोजगार गारंटी योजना जैसे कानून के राष्ट्रीय प्रयास में इन कार्यकर्ताओं व इनके संगठन की महत्वपूर्ण देन होगी। पूरे देश के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में इस संगठन की आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उस समय तो यह दूर की बातें थीं, पर इतना स्पष्ट पता चल रहा था कि यह संगठन कई मामलों में नई व महत्वपूर्ण शुरुआत कर रही है। उन्होंने तय किया कि आसानी से उपलब्ध होने पर भी किसी संस्था या सरकार से वे अपने कार्य के लिए आर्थिक सहायता नहीं लेंगे। सादगी अपनाकर वे अपने खर्च न्यूनतम रखेंगे। फिर भी संगठन बढ़ेगा तो पूर्णकालीन सदस्यों को अपने खर्च के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होंगे। तय हुआ कि जो राज्य में न्यूनतम मजदूरी होगी उतना ही मानदेय पूर्णकालीन कार्यकर्ता लेंगे। इस खर्च को व अन्य छोटे मोटे खर्च को लेखन कार्य, मित्रों से प्राप्त छोटे स्तर की सहायता आदि द्वारा पूरा किया जाएगा। कार्यालय देव डूंगरी की झोंपड़ी से ही चल रहा था अतः खर्च भी बहुत कम था। इस तरह खर्च को कम रखने की परंपरा शुरुआती समय से ही पड़ गई। यहां तक कि जब संगठन ने राष्ट्रीय महत्त्व के अनेक कार्य किए, नीतिगत बदलावों

जारी

व नए कानूनों के लिए दिल्ली व जयपुर तक बहुत दौड़ धूप की तो भी इसके खर्च कम बने रहे। इतने बड़े योगदान के बाद संगठन का वार्षिक बजट आज भी 12 लाख रुपए के आसपास ही सीमित है जिसके एक मुख्य हिस्से का उपयोग 17 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को राज्य में तय न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय देने में खर्च होता है। अरुणा राय को मैगसेसे पुरस्कार मिला जिसकी धनराशि उन्होंने जनहित ट्रस्ट के लिए दे दी है ताकि इस तरह के आत्म निर्भर सार्थक समाज सेवा के अन्य प्रयास भी आगे बढ़ सकें।

गांव स्तर के प्रयास को नीति से जोड़ना

मजदूर किसान शक्ति संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि उसने गांव स्तर के प्रयासों को राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर के नीतिगत बदलावों से जोड़ा। संगठन के कार्यक्षेत्र में लोगों की गुजर बसर के लिए सूखा राहत व ग्रामीण रोजगार कार्य बहुत जरूरी हैं। संगठन के आरंभिक दिनों में ही स्पष्ट हो गया कि इनमें भ्रष्टाचार के कारण लोगों की कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं व इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इनके बिल–वाऊचर, कागज–पत्रों आदि की जांच बहुत जरूरी है। यहीं से सूचना के अधिकार की मांग शुरू हुई। पहले इस मांग को संगठन ने अपने कार्यक्षेत्र में फैलाया, फिर पूरे राज्य में धरने प्रदर्शन करते हुए कई संगठनों को इससे जोड़ा। इसके आगे बढ़ते हुए संगठन ने कई प्रमुख नागरिकों, विद्वानों, पत्रकारों आदि को इस अभियान से जोड़ा। उनमें आपसी समवय करते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान की स्थापना व संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद गांवों से उठी मांग को कैसे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत बदलाव व नए कानून बनाने से जोड़ा जाए, इसका बहुत खूबसूरत व अनुकरणीय उदाहरण संगठन ने प्रस्तुत किया। ऐसे ही सोशल ऑडिट संबंधी मामलों में संगठन ने एक अनुकरणीय मॉडल देश दुनिया के सामने रखा। जहां संगठन ने अपने क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार गारंटी की मांग को बुलंद किया, तो बाद में राष्ट्रीय स्तर पर इसका कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया व फिर इस कानून के सही क्रियांवयन से यह संगठन निरंतरता से जुड़ा रहा। गांव स्तर के कार्य को नीतिगत बदलाव से जोड़ने में संगठन की इस विशेषता से भी मदद मिली कि संगठन ने लोकतंत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों जैसे मीडिया, राजनीतिक दलों, अकादमिक संस्थानों आदि से संपर्क बनाए रखे व उन तक अपने जरूरी संदेश पहुंचाने पर ध्यान दिया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के गठबंधन बनाने पर जोर दिया। विभिन्न संगठनों व संस्थानों से मिल जुलकर कार्य किया। दीर्घकालीन रिश्ते कायम किए व उन्हें निभाया भी। मीडिया में खुद भी लिखा व अन्य पत्रकारों को अपने क्षेत्र व मुद्‌दों पर लिखने के लिए सहायता भी की। देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार जैसे अजित भट्‌टाचार्य, प्रभाष जोशी, निखिल चक्रवर्ती व कुलदीप नैयर संगठन से काफी नजदीकी तौर पर जुड़े व संगठन के बारे में लिखने के अतिरिक्त संगठन के अभियानों में उन्होंने व्यापक स्तर पर हिस्सा भी लिया।

लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली

जमीनी स्तर व नीतिगत स्तर के दोनों पक्ष भली भांति निभा लेने की उपलब्धि के बारे में संगठन से आरंभ से ही जुड़े रहे सदस्य लाल सिंह कहते हैं, हम इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रतिभाओं वाले सदस्य हैं जो अपनी अपनी भूमिका निष्ठा से निभा रहे हैं। अरुणा राय के शब्दों में, हमारे यहां सभी तरह की प्रतिभाओं को उचित मान देने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ जुड़ी बात यह है कि इस संगठन में कोई निदेशक, अध्यक्ष या सचिव नहीं हैं अपितु सभी संगठन के एक समान सदस्य हैं। अरुणा राय इस बात पर जोर देते हुए कहती हैं, संगठन का यह पक्ष भी महत्वपूर्ण है पर इस ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है कि हमारे यहां निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है। एक बेहद लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सभी सदस्यों को भागेदारी का भरपूर अवसर मिलता है पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि संगठन इस दृष्टि से आदर्श स्थिति में पहुंच चुका है। रुठने, मनाने, नाराज होने की प्रक्रिया बीच बीच में चलती रहती है। कभी कभी गुस्से में कही बात से काफी क्षति भी हो जाती है, ऐसी क्षति जिससे बचा जा सकता है।

संगठन की इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं तो आगे की चुनौतियां भी कोई कम नहीं है। मनरेगा मजदूर संगठन के गठन और प्रसार की बड़ी चुनौती अभी सामने है। यदि टिकाऊ विकास की बात करें तो इससे भी बड़ी बात है खेती किसानी के आधार को मजबूत करना। इसके लिए जैसे विजयपुरा पंचायत और कुछ अन्य पंचायतों में संगठन ने मिट्‌टी व पानी संरक्षण व हरियाली बढ़ाने, चरागाह संरक्षण को बढ़ावा दिया वैसा कार्य संगठन के क्षेत्र के सब गांवों में होने चाहिए। साथ ही बड़ी कंपनियों के हमले से छोटे किसानों के हितों की रक्षा करने, परंपरागत बीज बचाने, पर्यावरण की रक्षा से जुड़ी कृषि फैलाने पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। इन सभी कार्यों के लिए अधिक युवा कार्यकर्ता जुड़ने चाहिए व संसाधन आधार भी बढ़ना चाहिए पर संगठन के अपने मित्र भी मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में युवा साथी हाल के समय में जुड़ नहीं पाए हैं जितना कि जरूरी है। नीति पक्ष पर महत्वपूर्ण योगदान देने के समय ग्रासरूट या जमीनी स्तर पर कार्य की मजबूती बनी रहे, इस ओर ध्यान देना भी जरूरी है। कभी कभी ऊपरी तौर पर देखने से संगठन के कुछ प्रयास बाहरी लोगों को छोटे लगे, पर उन पर निष्ठा और निरंतरता से कार्य करने पर बाद में परिणाम बड़े मिले। दुनिया भर में सूचना के अधिकार की बात तो बहुत की जाती है, पर ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जहां उन्हें गरीब से गरीब लोगों की बेहतर आजीविका के संघर्षों से सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। यह श्रेय विशेष रूप से मजदूर किसान शक्ति संगठन को है। इस कार्य का लाभ संगठन के कार्य क्षेत्र में ही नहीं, राजस्थान के एक बड़े भाग में मजदूरों,

जारी

विशेषकर राहत कार्य व ग्रामीण रोजगार योजना के मजदूरों को बेहतर मजदूरी के रूप में मिला। इस कार्य में भी न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन होना चाहिए, इस सिद्धांत के लिए संगठन ने जो लंबा संघर्ष किया, उस कारण इस सिद्धांत को बहुत मान्यता मिली व इसका बहुत उल्लंघन करना अब सरकार के लिए कठिन है। हालांकि पूरी कानूनी मजदूरी तो राज्य में अब भी नहीं मिलती है, पर अब राहत कार्यों में मजदूरी वास्तविक मजदूरी के अधिक नजदीक आई है। इसके लिए कई जुझारू संघर्षों व संगठनों का योगदान है व राज्य स्तर पर इनमें मजदूर किसान शक्ति संगठन की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर संगठन की राय स्पष्ट है वे आर्थिक—सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों को संगठित करना चाहते हैं ताकि उनका शोषण कम किया जा सके, वे सांप्रदायिकता का स्पष्ट व प्रखर विरोध करते हैं। वे किसी विशेष राजनीतिक दल या गुट से जुड़े हुए नहीं हैं। अतः जब उनसे इस बारे में बार बार पूछा जाता है कि आप किससे जुड़े हैं तो वे सीधा सा यही जवाब देते हैं कि हमारे विचार आपके सामने हैं, आप स्वयं तय कर लें कि हमें किस नाम से जानना चाहते हैं। वैसे तो संगठन अल्प काल में ही कुछ महत्वपूर्ण संघर्षों से गुजर चुका है फिर भी कार्यक्षेत्र की समस्याएं काफी अधिक हैं। यहां के पहाड़ों पर हरियाली कब लौट पाएगी? गांव कब आत्मनिर्भर बनेंगे? कौन सा वो दिन होगा जब यहां के बच्चों और युवकों को ढाबों और खदानों में अपना स्वास्थ्य गंवाने से मुक्ति मिलेगी? कब बुनियादी जरूरतों की पूर्ति गांव का हर परिवार कर सकेगा? ऐसे कितने ही सवाल हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत जरूर हो चुकी है संगठन के कार्य से, पर बहुत सा काम होना शेष है।

गैर—दलीय राजनीतिक संगठन

हालांकि स्वैच्छिक संगठनों व एनजीओ के दायरे में भी काफी अच्छे और सार्थक कार्य किए जा सकते हैं, पर संस्थागत आर्थिक सहयोग से प्रोजेक्ट आधारित कार्य करने की भी अपनी कई सीमाएं हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्यों ने इन सीमाओं से बाहर निकलकर अधिक व्यापक स्तर पर सामाजिक व राजनीतिक बदलाव से जुड़ने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने यह भी तय किया कि वे कोई संस्थागत आर्थिक सहायता या सरकारी आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ वे इस बारे में भी स्पष्ट थे कि वे कोई नया राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे हैं। वैसे तो एक पूरी तरह ईमानदार राजनीतिक दल बनाना भी अपने आप में एक बहुत सार्थक कार्य है, पर फिलहाल मौजूदा दलगत राजनीति की अनेक समस्याओं व विसंगतियों को देखते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्यों ने राजनीतिक दल बनाने की सोच से अपने को दूर ही रखा। अतः अपने लिए जो विकल्प उन्होंने चुना वह एक गैर—दलीय राजनीतिक संगठन का था, एक ऐसा संगठन जो व्यापक स्तर पर सामाजिक व राजनीतिक बदलाव से जुड़ेगा पर दलगत राजनीति से दूर ही रहेगा। *(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

दलित महिला सरपंचों ने बताई अपनी पीड़ा

• चंदालाल बैरवा •

दलित अधिकार केंद्र, जयपुर एवं स्वाधिकार दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 14 दिसंबर 2011 को जयपुर में दलित महिला सरपंचों पर एक राज्य स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में दलित महिला सरपंचों के साथ होने वाले अत्याचारों के राज्य के दौसा, पाली, अजमेर, भरतपुर सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों के 17 प्रकरणों को जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जूरी सदस्यों में न्यायमूर्ति आई एस इसरानी, पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, लाडकुमारी जैन, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग राजस्थान, अजय कुमार जैन, एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय, डॉक्टर पवन सुराणा, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग राजस्थान, सनी सेबिस्टन ब्यूरो चीफ द हिंदू, नारायण बारेठ, ब्यूरो चीफ बीबीसी, पीएल मीमरोठ, संरक्षक दलित अधिकार केंद्र जयपुर, आर के आंकोदिया, पूर्व सदस्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग थे।

जूरी के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए दौसा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नागल गोविंद की सरपंच नारायणी देवी ने कहा कि मौखिक रूप से कई बार विकास अधिकारी को सचिव की शिकायत की परंतु उन पर कोई गौर नहीं किया। पंचायतीराज मंत्री, क्षेत्रीय विधायक और राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा, जिला कलक्टर दौसा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा, अध्यक्ष महिला आयोग दिल्ली, विकास अधिकारी दौसा, जिला प्रमुख दौसा, प्रधान पंचायत समित दौसा को पत्र प्रेषित कर अपनी परेशानी से अवगत कराया परंतु इनसे भी कोई राहत नहीं मिली। आज भी सचिव अपनी मनमानी कर रहा है। मूली देवी महावर, सरपंच, ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराड़ा, पंचायत समिति सिकराय, जिला दौसा ने कहा कि मैं 20 अगस्त 2010 को अपने परिवार के साथ सो रही थी। रात के लगभग 12 बजे आरोपी पटवारी भरत सिंह जाट, सचिव रामावतार गुर्जर, राशन डीलर गिर्राज प्रसाद मीणा, अध्यापक गिर्राज प्रसाद शर्मा व रामहेत शर्मा, उमाशंकर शर्मा, रामावतार शर्मा,मोहन सिंह राजपूत, कैलाश सिंह राजपूत आदि निवासी ब्राह्मण बैराड़ा एक राय होकर मेरे से ललिता देवी पुत्री मूलचंद शर्मा के नाम भूमि का नामांतरण खोलने हेतु हस्ताक्षर करने के लिए कहने लगे। मेरे द्वारा उस नामांतरण को अपने दामाद टीकाराम द्वारा पढ़वाने व ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव के बाद हस्ताक्षर करने की बात कहने पर आरोपी नाराज हो गए तथा मुझे जबरन घर से घसीट कर उस फर्जी नामांतरण पर हस्ताक्षर करवा कर ले गए।

अजमेर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ की ग्राम पंचायत हरमाड़ा से आई रामप्यारी देवी पत्नी लालचंद रैगर ने बताया कि मैं हरमाड़ा सरपंच नौरती देवी की पुत्रवधु हूं। मेरी सास को बेइज्जत करने के लिए गांव वालों ने साजिश के तहत मेरे को डायन करार दिया। 1दिसंबर 2011 को लगभग सुबह नौ बजे मैं अपने घर पर खाना बना रही थी। उसी समय घर पर कालूराम पुत्र श्रीलाल जाट गौरा व अन्य जबरदस्ती मेरे घर में घुस गया तथा कहने लगा "रैगरी तुम डायन हो, तुम कालूराम की पत्नी ममता को खा गई, तुम ममता के शरीर में डायन बनकर आती हो और ममता को परेशान करती हो, तुम नीच जाति की रैगरी हो कह कर मेरे साथ मारपीट की गई। गीता देवी, उपसरपंच ग्राम पंचायत घाट, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर ने बताया कि मैं अपने घर के बाहर आंगन में 13 अप्रेल 2010, की रात्रि को लगभग 11 बजे सो रही थी। इसी समय आरोपी हरिराम मेरे से बलात्कार करने के आशय से वहां आया और मेरे को अकेली पाकर मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

इसी तरह अन्य प्रकरणों को भी जूरी के सामने रखा गया जिनमें सोमोती देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत, बूटोली,पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर को मारपीट कर अपमानित किया गया। शीला सांखला (जाति खटीक) सरपंच पत्नी महेंद्र सांखला (पूर्व जिला प्रमुख) ग्राम पंचायत पाली, पंचायत समिति एवं थाना महुवा, जिला दौसा को ग्राम सभा की बैठक में जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। दरगी देवी सरपंच पत्नी चुन्नीलाल मेघवाल ग्राम पंचायत भाटुंद पुलिस थाना नाना, तहसील बाली, जिला पाली को उपसरपंच ने दलित महिला सरपंच के साथ मारपीट कर अपमानित किया। इस प्रकार के 17 गंभीर प्रकरणों को स्वयं पीड़ित महिला सरपंचों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। जूरी ने समस्त प्रकरणों में पीड़ितों के बयान, दस्तावेजों के आधार पर निम्न सिफारिशें की :–

- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि दलित महिला सरपंच स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके।
- दलित महिला सरपंचों पर होने वाले अत्याचार के प्रकरणों में उच्च अधिकारी मौके पर जाकर तुरंत घटना स्थल का जायजा लें व पीड़ित को न्याय व सुरक्षा दिलवाना सुनिश्चित करे।
- दलित महिला सरपंचों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
- विशेषतौर से दलित महिला सरपंचों के प्रकरणों में पुलिस प्रशासन न्यायालय की पालना अनिवार्य रूप से करे।
- ग्राम पंचायत सचिवों को महिला सरपंचों के साथ काम करने के लिए विशेषरूप से संवेदनशील किया जाए। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

खबरें संक्षेप में

चिकित्सा पेशे को शर्मसार मत कीजिए

• बाबूलाल नागा •

किसी की जान बचाने का बीड़ा उठाने व भगवान के दूसरे रूप में पहचाने जाने वाला चिकित्सक किसी की जिंदगी का दुश्मन बन जाए तो सहसा ही उस पर से विश्वास की डोर टूट जाती है। उस वक्त ऐसा प्रतित होता है मानो सफेद झक कोट और पेंट पहने गले में स्टेथस्कोप लटकाए खड़ा यह शख्स फरिश्ते की बजाए कोई यमदूत है। आज प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल ने इस फरिश्ते रूपी इंसान को फिर से यमदूत की संख्या दे डाली। डॉक्टरों की इस जानलेवा हड़ताल से 50 से अधिक लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा।

पदोन्नति और केंद्र के समान वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश के 9 हजार सेवारत डॉक्टरों ने 21 दिसंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान कर दिया। समर्पित भाव से सेवा, मरीजों और उनके परिजनों को कभी निराश नहीं होने देने जैसे खूबियों वाले इस इंसान ने यह भी नहीं सोचा कि उनके इस कदम से आम आदमी कितना प्रभावित होगा। मानव मात्र की सेवा सहृदय भाव से करना ही चिकित्सा की आधारशिला है। आज यही चिकित्सक मानव जीवन का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है। हड़ताल के कारण प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हो गई हैं। सरकार ने वैल्कपिक इंतजाम की व्यवस्था जरूर की लेकिन यह ज्यादा कारगर सफल होती नजर नहीं आई। मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। कहीं ऑपरेशन टले तो कहीं पोस्टमार्टम के लिए भटकना पड़ा। डॉक्टरों की हड़ताल ने सीकर जिले के लोसल निवासी 13 साल के शाकिर की जान ले ली तो सिंकदरा का बंसीलाल एसएमएस में आकर इलाज करवाने के अपने निर्णय को लेकर पछतावा कर रहा है। डॉक्टरों को समझना चाहिए था कि उनका सामूहिक अवकाश विकल्प नहीं है। वे अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। उनके इस कदम से मरीजों की जान भी जा सकती है।

राज्य सरकार भी इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार है। सरकारी चिकित्सकों ने विगत जुलाई माह में भी हड़ताल की थी, तब सरकार ने उनकी मांगों का समाधान करने के लिए तीन माह का वक्त मांगा था। पांच माह गुजरने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। 10 दिसंबर को सेवारत डॉक्टरों की संघर्ष समिति के समझौते का हवाला देते हुए 21 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी तब भी राज्य प्रशासन और सरकारी नेता सोते रहे। सवाल उठता है कि सरकार ने डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। ऐसे नाजुक मसलों को हल करने के लिए सरकार कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाई। आपसी बातचीत मध्यस्थता और समझाइश से ऐसे संकटों को टाला जा सके या फिर उनका स्थायी समाधान निकाला जा सके। यह इंतजाम राज्य सरकार को करने चाहिए थे लेकिन हो न पाएं। अतः यदि आज डॉक्टर चिकित्सा सेवा को ठप करने के लिए जिम्मेदार है तो सरकार भी अपने दायित्व से बच नहीं सकती।

बहरहाल, किसी भी समस्या के समाधान के रूप में हड़ताल की प्रथा अमरबेल की तरह फैल गई है। आए दिन विरोध करने के लिए इस अमोध हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिना इस बात का ध्यान रखे कि इससे आम आदमी कितना प्रभावित होता है। ऐसा विरोध भी किस काम का जो किसी की जान ले लें। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

खबरें संक्षेप में

कई निशक्तों को मदद की दरकार

• फिरोज खान •

केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से निशक्तों, विधवा, वृद्धावस्था के लिए भले ही कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं लेकिन कई निशक्त, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब भी मदद को मोहताज है। बारां जिले में हाल यह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से देय सहायता कई लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही है। विभाग द्वारा हर साल निशक्तों के लिए कैंप लगाकर ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, केलीपर, हियर रिंग एड व ब्लाइंड स्टिक सहित कई यंत्र वितरित किए जाते हैं लेकिन कुछ लोगों तक ही यह सहायता पहुंच पा रही है।

छबड़ा निवासी परमानंद प्रजापति को तीन साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली। परमानंद के साथी नितिन प्रजापत व पवन गाडरी कक्षा 9वीं के छात्र हैं, उन्हें बैसाखी तक का सहारा नहीं मिल रहा है। इसी तरह सीसवाली निवासी मुस्तकीम खान व निसार काजी भी लाभ से वंचित है। पैर से निशक्त छबड़ा निवासी विनोद दो साल से सहायता के लिए दर दर भटक रहा है। बीपीएल परिवार के विनोद ने फीटर ट्रेड से आईटीआई की। समाज कल्याण विभाग जयपुर से सहायता के आदेश के बाद भी वह छात्रवृत्ति से वंचित है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आजाद अहमद का कहना है कि जिले में करीब 14 हजार निशक्तजन हैं। इनमें 45 फीसदी को प्रमाण पत्र के अलावा अन्य सहायता नहीं मिली है। वहीं गत वर्ष सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कराए सर्वे के अनुसार जिले में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में से करीब 3955 बच्चे निशक्त हैं। इनमें सर्वाधिक 940 छबड़ा ब्लॉक के हैं। बारां ब्लॉक में 428, अंता में 691 अटरू में 354, छीपाबड़ौद में 480, किशनगंज 297 व शाहबाद में 765 निशक्त हैं। एसएसए द्वारा इनमें से 104 को प्रमाण पत्र व 115 को बस पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जबकि इनके अलावा भी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जिसके कारण हजारों निशक्त परेशान है।

किशनगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत रेलावन क्षेत्र में कई लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। किसी को मिल भी रहा है तो 2–3 माह तक पेंशन नहीं मिलती है। हीरा बाई पत्नी सोनाराम को 4 माह से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है। इसी तरह रामप्यारी पत्नी गोपाल को 4 माह से विधवा पेंशन का इंतजार है। वहीं रेलावन ग्राम पंचायत उप सरपंच जसवंत सिंह का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में अधिकांश सहरिया जाति के लोगों का यही हाल है। यहां कार्यरत पोस्टमैन अमर चंद खींची ने गरीब लोगों का शोषण कर रहा है। उपकोष कार्यालय किशनगंज से पेंशन राशि आने के बाद भी विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग महिलाओं को चक्कर कटाता रहता है लेकिन पेंशन की राशि इनको नहीं देता। यहां तक कि 4–5 महीने निकलने के बाद मात्र दो माह के 1000 रुपए देकर चला जाता है। इस पेंशन योजना को लेकर एचएमआरसी की टीम ने नवंबर माह में इस क्षेत्र का विजिट किया तो पेंशन नहीं मिलने की शिकायत प्रमुख रूप से सामने आई। इसी तरह शाहबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत राजपुर के गांव कृपालपुरा भील बस्ती निवासी बादली बाई विधवा महिला है। इसके परिवार में इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसने पेंशन के लिए पांच बार आवेदन कर दिया मगर अभी तक भी इसको पेंशन नहीं मिली। इसी तरह इस क्षेत्र में कई महिलाएं पेंशन से वंचित हैं। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जे पी चांवरिया का कहना है कि पात्र विकलांगों को पेंशन दी जा रही है। निशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है। चिकित्सा जांच के बाद निशक्तों को प्रमाण पत्र व बस पास जैसी सुविधाएं भी दे रहे हैं। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 246 वर्ष – 11 **प्रकाशन सामग्री** 28 दिसंबर 2011 से 12 जनवरी 2012

खबरें संक्षेप में

झौंपड़ियों और पेड़ के नीचे चल रहे प्राथमिक स्कूल

• मनोज राठौर •

राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रही है लेकिन अभी भी कई ऐसे विद्यालय है जो भवन के अभाव में झौंपड़ियों व पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। बारां जिले की किशनगंज तहसील के विजयपुरा, कोलीखेड़ा के प्राथमिक विद्यालय भवन के अभाव में झौंपड़ी व पेड़ के नीचे संचालित है।

किशनगंज की रेलावन ग्राम पंचायत के विजयपुरा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय 5 बरसों से पेड़ के नीचे चल रहा है। इस स्कूल में 28 बालक बालिकाओं का नामांकन हैं जिसमें से 26 बालक बालिकाएं आदिवासी सहरिया समुदाय के हैं। विद्यालय भवन के न होने के कारण बारिश के दिनों में यह विद्यालय संचालित नहीं होता है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। प्रधानाध्यापक नंदू पंकज ने बताया कि विद्यालय वर्ष 2006 में स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2007 में विद्यालय भवन के लिए 5 बीघा भूमि आवंटित की गई लेकिन वह भूमि तलाई वाली जगह दी गई। जहां मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं। इनके बीच खाई है। भवन के लिए 4 लाख 5 हजार रुपए स्वीकृत हुए है लेकिन यह रुपए तो भूमि का समतलीकरण में ही खर्च हो जाएंगे। इसलिए भवन का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेश गोठवाल ने बताया कि भवन के लिए दुबारा भूमि आवंटन कर भवन का निर्माण करवाया जाएगा।

केलवाड़ा के कोठीखेड़ा गांव में संचालित प्राथमिक विद्यालय के भी ऐसे ही हाल है। खण्डेला ग्राम पंचायत के कोठीखेड़ा गांव का प्राथमिक विद्यालय दो वर्ष से कभी पेड़ के नीचे के तो कभी झौंपड़ी में संचालित किया जा रहा है। यहां भवन निर्माण का कार्य चल रहा है लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत होने के बाद से कार्य बंद पड़ा है। इस विद्यालय में नामांकित 23 बच्चों को सही रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वहीं रेलावन ग्राम पंचायत के चण्डालिया गांव में विद्यालय नहीं है। इस गांव के 30 बच्चे शिक्षा पाने के लिए गांव से 2 किलोमीटर दूर रेलावन के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। चण्डालिया व रेलावन के बीच नदी है। नदी के बीच बनी हुई 4 फीट चौड़ी दीवार पर होकर आते जाते है। बारिश के दिनों में नदी में पानी के तेज बहाव व रास्ते पर फिसलन के कारण बच्चें विद्यालय में नहीं जाते हैं। अन्य कोई रास्ता न होने के कारण बच्चों को बारिश के दिनों में शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। **(विविधा फीचर्स)**